क्रम-संख्या–96 (क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू0 / एन0पी0–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 मई, 2022

ज्येष्ठ 6, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–3

संख्या 647 / 36-03–2022-17(सा0)-2022

लखनऊ, 27 मई, 2022

अधिसूचना

प०आ०–116

कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल लोकहित में इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से महिला कर्मकारों के नियोजन के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उपबंधित निर्बंधनों से महिला कर्मकारों को नियोजित करने वाले राज्य के समस्त कारखानों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करती हैं:–

1–किसी महिला कर्मकार को उसकी लिखित सहमति के बिना प्रातः छः बजे से पूर्व तथा सायं सात बजे के पश्चात् कार्य करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।

2–किसी महिला कर्मकार को सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य उसके कार्य करने से इन्कार करने पर नियोजन से हटाया नहीं जायेगा।

3–सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य कार्यरत महिला कर्मकार को कारखाना के नियोजक द्वारा उसके निवास स्थान से कार्यस्थल तक आने और वापस जाने के लिए निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जायेगा।

4–सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य कार्यरत महिला कर्मकार को कारखाना के नियोजक द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

5–सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य कार्यरत महिला कर्मकारों को कार्य के घण्टों तथा तत्सम्बंधी यात्रा के दौरान पर्याप्त पर्यवेक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

6–नियोजक को कार्यस्थल के निकट शौचालय, प्रक्षालन कक्ष, परिवर्तन कक्ष और पेयजल तथा सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी।

7–सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य कार्य करने के दौरान अन्यून चार महिला कर्मकारों को परिसर में अथवा किसी विशिष्ट विभाग में कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

8–नियोजक को महिला कर्मकारों के नियोजन के सम्बंध में स्वयं द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था विषयक सूचना सम्बन्धित क्षेत्र के कारखाना निरीक्षक को सत्यापन हेतु अधिकतम सात दिन की अवधि प्रदान करते हुए निरीक्षणार्थ देनी होगी।

9–नियोजक को रात्रिपाली के दौरान अभिनियोजित महिला कर्मकारों के विवरण के सम्बंध में संबंधित क्षेत्र के कारखाना निरीक्षक को इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा रीति से मासिक रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी और किसी भी समय अप्रिय घटना होने पर संबंधित क्षेत्र के कारखाना निरीक्षक और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस थाना को त्वरित रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी।

10–कारखाना निरीक्षकों को महिला कर्मकारों की कार्य करने की निरापद दशाओं को प्रवर्तित करना होगा और समय–समय पर अपने निरीक्षण में अनुपालन न किये जाने का सावधानीपूर्वक संज्ञान लेना होगा।

11–नियोजक को लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाना होगा। नियोजक को स्वयं कारखाना में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 या किन्हीं अन्य संबंधित अधिनियमितियों में यथाविहित रूप से स्वयं शिकायत तंत्र अनुरक्षित करना होगा।

12–महिला कर्मकारों को विशिष्टता उनके अधिकारों के सम्बंध में यथाअपेक्षित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को प्रमुखतापूर्वक प्रदर्शित करते हुए अवगत कराया जायेगा।

13–कारखाना के नियोजक द्वारा ऊपर विहित किसी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर अनुमति स्वतः समाप्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव।